(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 130–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 01–12–12 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1211/2011–12 निगरानी.

रामसंजीवन तनय भागवत प्रसाद
निवासी ग्राम परसधा, थाना व तहसील नईगढ़ी,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

छोटेलाल तनय गणेशराम तिवारी,
निवासी ग्राम परसधा, थाना व तहसील नईगढ़ी,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री प्रदीप त्रिपाठी, अभिभाषक – आवेदक
श्री प्रदीप सिंह गहरवार, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 21.4.- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1211/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 01–12–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ने अपने ग्राम परसधा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि रकबा 0.50 एवं 0.75 के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवेदक ने आवेदनपत्र में आ. नम्बर 40/1 एवं 40/4/2 को उल्लेख किया। आवेदक ने अन्तरिम आवेदन पेश कर लेख किया कि ग्राम परसधा की आराजी खसरा नम्बर 40/4/1 रकबा 0.50 का आवेदनपत्र पेश करते समय आराजी नवीस व्दारा 40/1 दर्ज कर दिया है जिसके स्थान पर 40/4/1 दर्ज करने की अनुमति दी जाय। तहसील न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 13–10–10 व्दारा आराजी नं0 40/1 के स्थान पर 40/4/1 करने की अनुमति प्रदान की और तदनुसार आवेदनपत्र में संशोधन किया गया। राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 13–11–09 को आ0नं0 40/4/1 तथा 40/4/2 के किये गये सीमांकन की पुष्टि अपने आदेश दिनांक 25–10–10 व्दारा की गयी और अनावेदक छोटेलाल की आपत्ति निरस्त कर आपत्तिकर्त्ता को निर्देशित किया कि वह चाहे तो अपने भूमि का पृथक से आवेदनपत्र पेश कर नियमानुसार सीमांकन करा सकता है।

3/ उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अनावेदक छोटेलाल व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 07–12–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदनपत्र में आ0क0 40/1 एवं आ0क0 40/4/2 का उल्लेख है तथा सीमांकन शुल्क भी आ0क0 40/1 एवं आ0क0 40/4/2 का जमा किया गया है। सूचनापत्र पर छोटेलाल के हस्ताक्षर बने हैं किन्तु पंचनामें में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, इस प्रकार सीमांकन विवादित है। छोटेलाल की आपत्ति का भी निराकरण विधि अनुरूप नहीं किया गया। अतः अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 25–10–10 को निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी विव्दान अपर

आयुक्त ने अपने आदेश दिनाक 01–12–12 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक ने लिखित एवं मौखिक तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक व्दारा अर्जी–नवीस से सीमांकन आवेदन एवं चालान बनवाया गया था जिसमें भूमि खसरा नं0 40/4/1 का रकबा 0.050 ही लिखा गया था। भूमि खसरा नं0 40/1 का रकबा 1.12 एकड़ है, इसलिये आवेदक व्दारा जानबूझकर खसरा नं0 40/4/1 के स्थान पर 40/1 अंकित नहीं किया। इस तथ्य की जानकारी होने पर आवेदक व्दारा तहसील न्यायलय में मूल आवेदनपत्र में सुधार हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसील न्यायालय व्दारा स्वीकार कर सुधार करने के आदेश दिये, किन्तु निगरानी न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका यह भी तर्क है कि सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना दी गयी है तथा सूचनापत्र पर अनावेदक छोटेलाल के भी हस्ताक्षर हैं। अनावेदक छोटेलाल सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित थे, किन्तु उसके व्दारा पंचनामें पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जिसका उल्लेख पंचनामा में है। राजस्व निरीक्षक व्दारा विधिवत सीमांकन कर फील्ड बुक एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। छोटेलाल का आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के अशं रकबा 0.12 एकड़ पर अनाधिकृत कब्जा होने से अनावेदक सीमांकन में विवाद पैदा कर अनाधिकृत कब्जा बनाये रखना चाहता है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर निगरानी न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित एवं मौखिक तर्क में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि ग्राम परसधा की भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक है, उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का कोई अन्य व्यक्ति सीमांकन नहीं करा सकता।

नायब तहसीलदार व्दारा आ0नं0 40/1 तथा 40/4/2 का सीमांकन पेश करने हेतु आदेश दिये गये थे, किन्तु हल्का पटवारी ने 40/4/1 एवं 40/4/2 का प्रतिवेदन तैयार किया जिसे राजस्व निरीक्षक ने प्रमाणित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय व्दारा आ0क0 40/1 का खसरा एवं नक्शा प्लाट प्रस्तुत करने के आदेश आवेदक को दिये, किन्तु आवेदक व्दारा आ0नं0 40/1 का खसरा एवं नक्शा प्लाट प्रस्तुत नहीं किया और आवेदन में संशोधन का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार करने में नायब तहसीलदार व्दारा त्रुटि की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि सीमांकन शुल्क चालान व्दारा आ0नं0 40/1 एवं 40/4/2 का जमा किया गया था जिसमें काटपीटकर सुधार किया गया है। उनका तर्क है कि निगरानी न्यायालयों के आदेश एक समान है, इसलिये उनमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइस नहीं है। अतः अनावेदक व्दारा निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

6/ तहसील न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध रामसंजीवन के आवेदनपत्र में आ0नं0 40/1, 40/4/2 रकबा 0.50 एवं 0.75 अंकित है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 19 पर पटवारी हल्का सोनवर्षा क02 के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि पुष्पेन्द्रकुमार तनय मुनि महेश तिवार सा0 परसधा पटवारी हल्का सोनवर्षा तह0 मऊगंज के निवासी है, जो वर्तमान में सेना में सेवारत है, उनकी ग्राम परसंधा की आ0नं0 40/4/1 व 40/4/2 रकबा 1.25 का सीमा विवाद ग्राम परसंधा की आ0नं0 40/1 व 40/7 के बीच था। आवेदक के बड़े पिता रामसंजीवन के व्दारा सीमांकन का आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय रीवा को दिया गया था। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 20 पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रीवा को संबोधित मेजर विशेख वालिया का पत्र है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा जॉच रिपोर्ट मगांने आदेश दिये हैं तथा नायब तहसीलदार ने जॉच कर पंचनामा एवं समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने के

आपत्तिकर्त्ता को निर्देशित किया गया है कि वह चाहे तो अपनी भूमि का पृथक से आवेदनपत्र पेश कर नियमानुसार सीमांकन करा सकता है, किन्तु अनावेदक छोटेलाल व्दारा अपने भूमि का सीमांकन ना करते हुए निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जो विवाद को लम्बान में डालकर अवैध कब्जा को बनाये रखने की प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसी दशा में निगरानी न्यायालयों अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश गुण–दोष पर विधिवत विचार किये बिना सिर्फ आवेदनपत्र एवं चालन में लिपिकीय त्रुटि के आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की गयी है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 01–12–12 तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 07–12–11 निरस्त किये जाते हैं। तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 25–10–2010 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0

आदेश राजस्व निरीक्षक को दिये गये हैं। इसी आदेश के आधार पर पटवारी हल्का सोनवर्षा 2 एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 13–11–09 को सरहदी कृषकों को सूचना देने के पश्चात आ0नं0 40/4/1 एवं 40/4/2 का सीमांकन कर प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक एवं नजरी नक्शा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि आ0नं0 40/4/1 एवं 40/4/2 के संबंध में ही सीमांकन की कार्यवाही पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा की गयी है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 16 पर उपलब्ध सूचनापत्र में छोटेलाल के हस्ताक्षर है जिसे निगरानी न्यायालयों व्दारा भी मान्य किया गया है। पंचनामें में राजस्व निरीक्षक, कोटवार तथा अन्य कृषकों के हस्ताक्षर के साथ ही सरपंच के हस्ताक्षर सील सहित हैं। पंचनामें में कृषक छोटेलाल मौके पर उपस्थित रहे. पंचनामें में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जिसकी पुष्टि हम पंचान करते हैं, अंकित है। ऐसी दशा में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन की सूचना अनावेदक छोटेलाल को नहीं थी और उसके पीठ–पीछे सीमांकन किया गया। सीमांकन आवेदन एवं सीमांकन शुल्क चालान में आ0नं0 40/4/1 के स्थान पर 40/1 अंकित होने से सीमांकन की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण होना मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आ0नं0 40/1 का रकबा 1.12 एकड़ है, जबकि आवेदनपत्र में रकबा 0.50 एकड़ ही अंकित किया गया है अर्थात आवेदनपत्र एवं चालान में लिपिकीय त्रुटि होने से 40/2/1 के स्थान पर 40/1 अंकित किया गया जिसके सुधार करने के आदेश नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 13–10–10 व्दारा दिये गये हैं। फील्ड बुक एवं नजरी नक्शा में जरीब डालकर विधिवत सीमांकन किया गया है और 4 पत्थर गड़े गये हैं। सीमांकन में आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के अंश भाग पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है। नायब तहसीलदार व्दारा आपत्तिकर्त्ता अनावेदक छोटेलाल व्दारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवायी कर अपने आदेश दिनांक 25–10–10 व्दारा आपत्ति खारिज कर सीमांकन की पुष्टि की गयी है और